रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD NO. D L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 601] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 22, 2001/श्रावण 31, 1923
No. 601] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 22, 2001/SRAVANA 31, 1923

## वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

## आदेश

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2001

का.आ. 815(अ).— बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 45 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त धारा की उपधारा (1) के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए आवेदन पत्र पर विचार करने के पश्चात् एतद्द्वारा माधवपुरा मर्केंटाइल को-आपरेटिव बैंक लि0 के संबंध मे 23.8.2001 को बैंक का कारोबार बन्द होने से लेकर 29.8.2001 तक और उस दिन को मिलाकर अधिस्थगन आदेश जारी करती है और इसके द्वारा अधिस्थगन आदेश की अवधि के दौरान उक्त सहकारी बैंक के विरूद्ध सभी कार्रवाईयों और कार्यवाहियों का शुरू किया जाना अथवा शुरू की गई कार्रवाईयों को जारी रखना स्थगित किया जाता है किन्तु शर्त यह है कि ऐसे अधिस्थगन का किसी भी प्रकार से उक्त सहकारी बैंक के समापन की अपेक्षा हेतु विधि के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले उसके अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े।

2. केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह निदेश भी देती है कि स्वीकृत अधिस्थगन की अवधि के दौरान एम एम सी बी एल भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित पूर्वानुमति के बिना

(क) कोई ऋण अथवा अग्रिम नहीं देगा, कोई निवेश नहीं करेगा, निधियों के उधार और नई जमाराशियां स्वीकार करने सहित किसी प्रकार का दायित्व स्वीकार नहीं करेगा, अपने दायित्वों और देनदारियों के संबंध में अथवा अन्यथा किसी प्रकार की अदायगी नहीं करेगा अथवा अदायगी करना स्वीकार नहीं

करेगा, किसी प्रकार का समझौता अथवा ठहराव और बिक्री नहीं करेगा, बैंक की किसी परिसम्पत्ति का अन्य संक्रमण अथवा निपटान नहीं करेगा किन्तु वह निम्नलिखित तरीके से और निम्नलिखित सीमा तक यथास्थिति अदायगियां अथवा खर्च करेगा :

(i) प्रत्येक बचत बैंक अथवा चालू खाते अथवा किसी भी नाम से पुकारे जाने वाले किसी अन्य जमा खाते की शेष रकम में से 1000/- (एक हजार रूपए केवल) से अनधिक के राशि के किसी भी जमाकर्ता द्वारा आहरित करने की अनुमति दी जाए बशर्ते कि जहां कहीं भी ऐसे जमाकर्ता की किसी भी प्रकार से अर्थात उधारकर्ता या जामिन के संबंध में बैंक के प्रति देनदारी है तो इस राशि को सर्वप्रथम संगत उधार खाता/खातों में समायोजित किया जाए ;

(ii) परिपक्वता पर विद्यमान मीयादी जमाराशि का उसी नाम और उसी क्षमता में नवीकरण ;

(iii) 13 मार्च, 2001 को अथवा उससे पहले समाहरण के लिएं प्राप्त और उस तारीख से पूर्व या उक्त तारीख को अथवा उसके बाद वसूल किए गए बिलों का भुगतान ;

(iv) उक्त बैंक द्वारा जारी किया गया और 13 मार्च, 2001 को अदत्त, कोई ड्राफ्ट अथवा भुगतान आदेश का भुगतान ;

(v) निम्नलिखित मदों के संबंध में बैंक द्वारा उठाया जाने वाला कोई खर्च ;

(क) कर्मचारियों के वेतन ;

(ख) किराया, दर और कर ;

(ग) बिजली दरें ;

(घ) मुद्रण, लेखन-सामग्री, आदि ;

(ङ) डाक-शुल्क और तार आदि ; और

(च) प्रत्येक मामले में 3000/- रूपए (तीन हजार रूपए केवल) से अनधिक के कानूनी खर्चे।

(vi) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारन्टी निगम को देय प्रीमियम का भुगतान ;

(vii) किसी अन्य मद पर कोई व्यय, जहां तक कि वह बैंक के विचार में बैंक का दैनिक प्रशासन चलाने के लिए करना अनिवार्य हो बशर्ते कि जहां किसी एक कैलेण्डर मास में किसी मद पर किया गया कुल खर्च, निदेश की तारीख से छः महीनों की पूर्ववर्ती अवधि के दौरान उस मद के संबंध में औसत मासिक खर्च से अधिक नहीं होगा और यदि विगत में उस मद के संबंध में कोई खर्च न किया गया हो, तो यह 500/- रूपए (पांच सौ रूपए केवल) से अधिक नहीं होना चाहिए ; और

(viii) बैंक तब तक कोई भी अन्य देनदारी नहीं उठाएगा अथवा उसकी निर्वापण नहीं करेगा जब तक कि विशेष रूप से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लिखित रूप में अनुमोदन प्राप्त न हो।

[फा. सं. 14(17)/2001-एसी]

शेखर अग्रवाल, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Economic Affairs)**

**(Banking Division)**

**ORDER**

New Delhi, the 22nd August, 2001

S.O. 815(E).— In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of section 45 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) the central Government after considering an application made by the Reserve Bank of India under sub-section (1) of that Section hereby makes an order of Moratorium in respect of the Madhavpura Mercantile Co-operative Bank Ltd. For the period from the close of business on the 23.8.2001 upto and inclusive of the 29.8.2001 and hereby stays the commencement or continuance of all actions and proceedings against the said co-operative bank during the period of moratorium, subject to the condition that such stay shall not in any manner prejudice the exercise by the Reserve Bank of India of its powers under law to require the winding up of the said co-operative bank.

2. The central Government hereby also directs that during the period of moratorium granted to it, the MMCBL, shall not, without the permission in writing of the Reserve Bank of India –

**(a)** Grant or renew any loans and advances, make any investment, incur any liability including borrowal of funds and acceptance of fresh deposits, disburse or agree to disburse any payment whether in discharge of its liabilities and obligations or otherwise, enter into any compromise or arrangement and sell, transfer or otherwise dispose of any of its properties or assets except to the extent and in the manner provided hereunder-

(i) A sum not exceeding Rs. 1000/- (Rupees one thousand only) of the total balance in every savings bank or current account or any other deposit account by whatever name called, may be allowed to be withdrawn by a depositor provided that wherever such depositor is having liability to the bank in any manner i.e. either to a borrower or surety, the amount may be adjusted first to the relevant borrowal account/s;

(ii) Renewal of the existing term deposit on maturity in the same name and same capacity;

(iii) Payment of bills received for collection on or before 13 March, 2001 and realize before, on or after that date;

(iv) Payment of any drafts or pay orders issued by the said bank and remaining unpaid on 13 March, 2001;

(v) Incurring any expenditure that may be required to be met by the bank in respect of the following terms:

a) Salaries of the employees;
b) Rent, rates and taxes
c) Electricity Bills;
d) Printing, Stationery, etc;
e) Postage and telegram etc; and
f) Legal expenses not exceeding Rs. 3000/- (Rupees three thousand only) in each case.

(vi) Payment of premium payable to the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation;

(vii) Incurring any expenditure on any other item insofar as it is, in the opinion of the bank, necessary for carrying on the day-to-day administration of the bank provided that total expenditure on any item in a calendar month shall not exceed the average monthly expenditure on account of that item during the period of six months preceding the date of the directive or if no expenditure has been incurred on account of that item in the past, it should not exceed a sum of Rs. 500/- (Rupees five hundred only); and

(viii) The bank shall not incur or extinguish any other liability unless specifically approved in writing by the Reserve Bank of India.

[F. No. 14(17)/2001-AC]

SHEKHAR AGARWAL, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.